

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(लेण्ड रेकॉर्ड ऑफिसर), शिवगंज जिला-सिरोही
बइजलास श्रीमती शकुंतला, आर0ए0एस0

अपीलान्ट
जवाहरमल पुत्र सोनाजी जाति सोनी निवासी
हरजी तह0 आहोर जिला जालोर

बनाम

रेस्पोंडेंट

1.सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत
मणादर तह0 शिवगंज
2.राज0 सरकार जरिये तहसीलदार
शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री अभिमन्युसिंह राजपुरोहित



राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 व
राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम

राजस्व अपील सख्यां-03/2022

- : निर्णय : -

दिनांक 11.08.2024

उपरोक्त अनवान सदर में अपीलान्ट ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 व राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 2443 दिनांक 20.05.2004 निरस्त करने का पेश किया गया, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मर्यादा अधिनियम का विरुद्ध रेस्पोंडेंट के इस न्यायालय में हमारे समक्ष पेश किया। विवादित आराजी मौजा मणादर-2 पटवार हल्का मणादर के खसरा नम्बर 1790 रकबा क्रमशः 17-00 बीघा भूमि आई हुई है। अपीलान्ट ने जरिये बेचान दिनांक 11.05.2001 को ग्राम मणादर पटवार हल्का मणादर द्वितीय भू0अभिलेख निरीक्षण मांडाणी तहसील शिवगंज के खसरा सं. 1790 रकबा 17 बीघा किस्म बाराणी 3 की आराजी क्रय की एवं विक्रेता द्वारा क्रेता को आराजी के हस्तांतरण करने के उपरान्त रेस्पोंडेन्टगण के समक्ष सम्बन्धित भू0 अधिकार अभिलेख जमाबन्दी खतौनी में नामान्तरकरण दायर करने के बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत जिस पर पटवार हल्का मणादर द्वितीय ने दिनांक 11.04.2004 को सम्बन्धित बेचान रजिस्ट्री के आधार पर खरीदी गई भूमि पर क्रेता को कब्जा हस्तांतरण होने से नामान्तरकरण दायर कर वास्ते जांच एवं टिप्पणी हेतु भू0 अभिलेख निरीक्षण मांडाणी की सेवा में पेश किया जिस पर भू0अभिलेख निरीक्षण मांडाणी बेचान दस्तावेज एवं खतौनी से तुलनाकर इन्द्राज दिनांक 17.04.2004 को सही पाया गया उक्त नामान्तरकरण की अन्तिम स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत मणादर में पेश किया जिस पर ग्राम पंचायत मणादर तहसील शिवगंज जिला सिरोही ने दिनांक 20.05.2004 को उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण को इस टिप्पणी के साथ खारिज किया गया कि नामान्तरकरण में वर्णित भूमि ग्राम पंचायत की गौचर भूमि हैं इस कारण बेचान रेस्पोंडेन्ट सं0 1 द्वारा बिल्कुल गलत मिथ्या आधार पर खारिज किया गया जिससे अपीलान्ट की अपील म्यूटेशन सं. 2443 खारिज करने का निवेदन किया गया है। उक्त प्रकरण में नामान्तरकरण का आधार विक्रय विलेख हैं जो विक्रय विलेख सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 54 भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17/ख/ के अनुरूप हैं तथा उक्त प्रकरण में नामान्तरकरण करने पर भूमि का हस्तांतरण क्रेता को हो चुका है कब्जा भी प्राप्त हो चुका है इसके बावजूद भी सरपंच ग्राम पंचायत मणादर द्वारा अपीलान्ट को नुकसान एवं ग्राम पंचायत में अपने अधिकारों के विपरित कार्य किया गया तथा रेकार्ड को अनदेखा करते हुए आदेश पारित किया गया जो काबिल खारिज के हैं तथा अन्य खसरा सं. 1796, 1798, 1995, 1792 मौजा मणादर के तीन अन्य नामान्तरकरण समान भूमि समान किश्म के भी स्वीकार किए हैं ग्राम पंचायत मणादर के सरपंच द्वारा द्वेषभाव द्वारा भेदभाव रखते हुए कार्यवाही की है जिससे अपीलान्ट आदेश काबिल निरस्त के हैं। ग्राम पंचायत को नामान्तरकरण तस्दीक करने का अधिकार भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 एवं परिपत्र सितम्बर 1982 के द्वारा भू के हस्तांतरण के निर्विवाद मामले में उक्त प्रकरण में अपीलान्ट का नामान्तरकरण का प्रकरण निर्विवाद होने के बावजूद रेस्पोंडेन्ट सं. 1 ने भू अधिकार अभिलेख में मिथ्या अंकन बाबत भूमि का वर्गीकरण कर प्रश्नगत नामान्तरकरण खारिज के है जो आदेश काबिल निरस्त के हैं।

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

// 2 //

अपील सं० 03/2024

जवाहरमल बनाम सरपंच मनादर

अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट व 5 म्याद अधिनियम

अपीलाण्ट ने खातेदारी भूमि दिनांक 11.05.2001 को जरिये रजिस्टर्ड खरीद करने पर अपनै नाम से खातेदारी दर्ज करवाने हेतु कार्यवाही की गई थी। तथा अपीलांट ने भूमि का कब्जा प्राप्त करने के बाद काश्तकारी की गई तथा वक्त खरीद से अपीलांट काश्त करती थी। तथा अपीलांट अनपढ होने से अभी जमाबंदी की नकल लेने से जानकारी हुई। कि पूर्व खातेदारों के नाम से ही खातेदारी हो गई है। अतः अपील की जानकारी की तिथि से अंदर म्याद प्रस्तुत की है। अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर किए जाकर रेस्पोंडेंट को सम्मन जारी हुए। रेस्पोंडेंट संख्या एक ता दो के सम्मन तामील होकर प्राप्त हुए। रेस्पोंडेंट संख्या 1 को समुचित अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने से रेस्पोंडेंट सं० 1 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही करते हुए उनका जवाब दिनांक 26.03.2024 को बंद किया गया। रेस्पोंडेंट सं० 2 ने दिनांक 11.06.2024 को जवाब पेश किया व इसी दिन अपीलान्ट अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (1) (2) के तहत ग्राम पंचायत को केवल अविवादित नामान्तरकरण को निर्णित करने का ही क्षेत्राधिकार है तथा ग्राम पंचायत की ग्राम समा में पटवारी द्वारा पेश नामान्तरकरण को सम्बन्धित रेकॉर्ड की जांच पडताल एवं आधार के बिना एवं सम्बन्धित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिये बिना सरपंच ग्राम पंचायत को खारीज किये जाने का अधिकार नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन, संलग्न दस्तावेज एवं बहस पर मनन किया, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपीलांट कानूनी व नामान्तरकरण प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ था जिससे अपीलान्ट इस विश्वास में रहा कि उक्त आराजी में अपीलाण्ट के विक्रय विलेख पश्चात उनका नाग राजस्व रेकॉर्ड में हिस्से अनुसार दर्ज हुआ होगा परन्तु अपीलान्ट को प्रथम बार पटवारी हल्का से इसकी जानकारी ली तब पता चला कि उनका नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नहीं है। अपीलान्ट को अपना नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नहीं होने की जानकारी अभी होने से अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की है। नामान्तरकरण संख्या 2443 दिनांक 20.05.2004 में अपीलान्ट ने राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 1790 मी. कुल रकबा 47-05 बीघा में से 17-00 बीघा भूमि खरीद की है जिसकी किस्म ब-3 है जबकि सरपंच ग्राम पंचायत मनादर ने नामान्तरकरण में दर्ज वर्णित भूमि को ग्राम पंचायत मनादर की गौचर भूमि होने से बेचान शून्य बताकर नामान्तरकरण को खारिज किया है जबकि राजस्व रेकॉर्ड में अपीलान्ट की खरीदशुदा भूमि किस्म ब-3 है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत मनादर को रेकॉर्ड की पूर्ण जानकारी होते हुए भी नियमों व पंचायतीराज अधिकारों के विरुद्ध (बिना जांच पडताल व सुनवाई का अवसर दिये) दिनांक 20.05.2004 को जान बुझकर नामान्तरकरण 2443 में उक्त टिप्पणी कर खारिज किया है जो न्यायिक एवं विधि सम्मत नहीं होने से नामान्तरकरण संख्या 2443 में सरपंच ग्राम पंचायत मनादर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.5.2004 को खारिज किया जाता है तहसीलदार शिवगंज को रिमांड किया जाता है कि गुणावगुण के आधार पर विक्रय विलेख की जांच कर उसके अनुसार एक माह के भीतर नामान्तरकरण संबंधी कार्यवाही का निस्तारण आवश्यक रूप से करें। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

यह निर्णय आज दिनांक 11.06.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।



क्रमांक/कोर्ट/2024/364

प्रतिलिपि:-

तहसीलदार शिवगंज को पालना कर रिपोर्ट भिजवाने हेतु प्रेषित है।

(शकतला)
उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
शिवगंज (सिरौही)

दिनांक 11.06.2024

उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरौही)